

Filling no. RCS-A/464/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 120 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filling no. RCS-A/464/2017

CNR no. MP30010041592017

सिविल वाद क्रमांक 120 ए/2017

संस्थित दिनांक :-27/07/2017

1. श्रीमती सुमन देवी पत्नी वासुदेव सिंह, उम्र-53 वर्ष,
2. श्रीमती उमा देवी पत्नी पर्वत सिंह, उम्र-33 वर्ष,
दोनों निवासी-ग्राम बिठोली, थाना-बिठोली,
जिला-इटावा (उ0प्र0), वर्तमान पता-वार्ड क्रमांक 25,
यदुनाथ नगर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)आवेदकगण/वादीगण

//बनाम//

1. अर्चना देवी पत्नी दिलीप सिंह परिहार,
2. दिलीप सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह परिहार,
दोनों निवासी-ग्राम बिठोली, थाना-बिठोली,
जिला-इटावा (उ0प्र0)अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री राजेश उपाध्याय।
प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा श्री पी0एन0 शुक्ला अधिवक्ता।

//आदेश//

(आज दिनांक 29.01.2018 को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।
2. यह वाद धर्म नगर, वार्ड क्रमांक 9, भिण्ड स्थित वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.10.2009 से कय भूखण्ड 60 गुणे 41 फीट चतुर्सीमा उत्तर में प्रतिवादीगण का प्लॉट, दक्षिण में विनोद सिंह का मकान, पूर्व में श्रीराम जाटव का खेत व पश्चिम में 15 फीट का आम रास्ता (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित भूखण्ड" से निर्दिष्ट) पर स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है।

3. आवेदन संक्षेप में यह है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.10.2009 से जनक सिंह राजावत को 2,97,000 /—रुपये प्रतिफल अदा कर वादीगण ने विवादित भूखण्ड क्रय किया और कब्जा प्राप्त किया है। विवादित भूखण्ड की अवस्थिति वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शायी गई है और वादीगण ने विधिवत डायवर्सन कराकर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। प्रतिवादीगण ने विवादित भूखण्ड के उत्तर दिशा में 20 गुणे 60 फीट पर अतिक्रमण कर नींव खोदकर दिनांक 23.06.2017 को बिना किसी अधिकार के 2—3 फीट की दीवाल बना ली, जब वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण झगड़ा करने लगे। मौके पर निर्माण कार्य को लेकर लड़ाई-झगड़ा का अंदेशा होने पर वादीगण ने थाना देहात भिण्ड में सूचना दी, दिनांक 24.06.2017 को एस0डी0एम0 के समक्ष धारा 145 दं0प्र0सं0 का आवेदन प्रस्तुत किया गया और जाँच रिपोर्ट व सुनवाई के लिए दिनांक 18.08.2017 की तिथि नियत की गयी है। वादीगण के स्वत्व का निराकरण एस0डी0एम0 के न्यायालय में नहीं हो सकता है, इसलिए स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह सिविल वाद संस्थित किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है, प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूखण्ड पर जबरन कब्जा कर लेने की दशा में वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये कि वाद के लम्बन तक मौके पर निर्माण कार्य न करें।

4. प्रतिवादीगण का जवाब संक्षेप में यह है कि वादीगण द्वारा विवादित भूखण्ड क्रय किये जाने की उन्हें जानकारी नहीं है। राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नामांतरण 0.011—0.011 आरे कुल 0.022 आरे पर हुआ है जिसका क्षेत्रफल 2250 वर्गफीट होता है जबकि वादीगण ने स्वयं को विवादित भूखण्ड 2460 वर्गफीट का भूमिस्वामी होना बताया है। प्रतिवादीगण ने मोहल्ला धर्म नगर, वार्ड क्रमांक 9 के सर्वे नंबर 724 में से अंशभाग 0.127 आरे लम्बाई पूरब से पश्चिम 60 फीट व चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 25 फीट कुल 1500 वर्गफीट भूमि जनक सिंह से दिनांक 17.12.2008 को क्रय की है जिसकी चतुर्सीमा उत्तर में भदौरिया का प्लॉट, दक्षिण में विक्रेता की जगह, पूरब में श्रीराम का खेत, पश्चिम में 15 फीट चौड़ा रास्ता है। प्रतिवादीगण ने उक्त क्रय की गयी भूमि का कब्जा प्राप्त कर बाउण्ड्री वॉल बनायी है और किसी भी प्रकार से वादीगण के स्वत्व के विवादित भूखण्ड पर कब्जा नहीं किया है। वादीगण के द्वारा विवादित भूखण्ड क्रय किये जाने के करीब 10 माह पूर्व ही प्रतिवादीगण ने जनक सिंह से भूखण्ड क्रय किया है, प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड का सीमांकन भी कराया है और राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.11.2016 को मौके पर पंचनामा तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार भिण्ड के प्र0कं0 4/अ-12/2016—17 में दिनांक 19.11.2016 को विधिवत् आदेश पारित किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने भूखण्ड पर विधिवत् सीमांकन के बाद बाउण्ड्री बनवायी है, झूठे

व मनगढ़ंत तथ्यों पर वाद संस्थित किया गया है और दिनांक 23.06.2017 की घटना मनगढ़ंत है। वादीगण को अपने द्वारा कय किये गये भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार विक्रेता से है और प्रतिवादीगण के दस्तावेज सही होने से एस0डी0एम0 के न्यायालय में सफलता की वादीगण को कोई उम्मीद नहीं दिखी तो झूठे आधारों पर वाद संस्थित किया है। वादीगण के पक्ष में कोई मामला नहीं है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

6. अभिवचन व अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेज से यह प्रकट है कि मोहल्ला धर्म नगर, वार्ड क्रमांक 9 भिण्ड स्थित सर्वे क्रमांक 724 में से 60 गुणे 25 फीट का एक भूखण्ड प्रतिवादी क्रमांक 1 ने जनक सिंह राजावत से दिनांक 17.12.2008 को कय किया है और उक्त सर्वे क्रमांक 724 में से ही वादीगण ने उक्त जनक सिंह राजावत से 60 गुणे 41 फीट का एक भूखण्ड दिनांक 13.10.2009 को कय किया है।

7. प्रथम विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2008 (विक्रेता जनक सिंह राजावत व क्रेता प्रतिवादी क्रमांक 1) से विक्रय किये गये भूखण्ड की चतुर्सीमा उत्तर में भदौरिया का प्लॉट, दक्षिण में विक्रेता की जगह, पूरब में श्रीराम का खेत व पश्चिम में 15 फीट रास्ता लेख है। पश्चात्तर्वर्ती प्रक्रम पर निष्पादित द्वितीय विक्रय पत्र दिनांक 13.10.2009 (विक्रेता जनक सिंह राजावत व क्रेता वादीगण) से विक्रय किये गये भूखण्ड की चतुर्सीमा उत्तर में दीपू परिहार का प्लॉट, दक्षिण में विक्रेता की जगह, पूरब में श्रीराम जाटव का खेत व पश्चिम में 15 फीट रोड लेख है।

8. इस प्रकार दोनों विक्रय पत्र में दर्शित भूखण्ड को एकसाथ देखा जाये तो यह प्रकट है कि वादीगण के द्वारा कय किये गये भूखण्ड के उत्तर की दिशा में दीपू परिहार का प्लॉट लेख है, तर्क के दौरान यह प्रकट हुआ कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के पति दिलीप सिंह का ही नाम दीपू परिहार भी है और वादपत्र के साथ संलग्न

नजरी-नक्शा में भी उत्तर दिशा में प्रतिवादीगण का ही भूखण्ड दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा एक ही भूमिस्वामी जनक सिंह राजावत से अलग-अलग भूखण्ड क्रय किये गये हैं।

9. सम्पूर्ण वादपत्र में इस सुसंगत तथ्य का कोई अभिवचन नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने स्वयं द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड 60 गुणे 25 फीट से अधिक भूमि पर बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कराया है। वादीगण द्वारा विवादित भूखण्ड क्रय किये जाने के पूर्व ही प्रतिवादी क्रमांक 1 ने भूखण्ड क्रय किया है, वादीगण के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.10.2009 में भी उत्तर में प्रतिवादीगण का भूखण्ड दर्शाया गया है और प्रतिवादीगण ने तहसीलदार के आदेश से कब्जा प्राप्त किया है।

10. अभिलेख से यह प्रकट नहीं है कि प्रतिवादीगण ने स्वयं द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड से अधिक भूमि पर कब्जा कर वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण किया है, ऐसी दशा में प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में प्रकट नहीं होता है और सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है। अतः उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)